



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012021-224503
CG-DL-E-16012021-224503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 185]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

का.आ. 205(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर, को राजस्थान राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जयपुर रिंग रोड (दक्षिणी कोरिडोर) (रा.रा.-148 सी) के आगरा रोड जंक्शन पर इण्टरचेन्ज (क्लोवरलीफ) (रा.रा.-21 के कि.मी. 222.400 से कि.मी.223.000 तक) के भूखण्ड पर निर्माण कार्य (चौड़ा करने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में जयपुर रिंग रोड (दक्षिणी कोरिडोर) (रा.रा.-148 सी) के आगरा रोड जंक्शन पर इण्टरचेन्ज (क्लोवरलीफ) (रा.रा.-21 के कि.मी. 222.400 से कि.मी.223.000 तक) पर निर्माण कार्य बाबत भूमि का अर्जन

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	1 बगराना

	(प्रथम), जयपुर	संख्या NH21 के कि.मी. 222.4 से 223 तक			
--	-------------------	---	--	--	--

[फा. सं. NHAI/JPR/2020/Ring Road]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2021

S.O. 205(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Additional District Collector (I), Jaipur mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for construction of interchange (Cloverleaf) at Agra Road Junction (from Km. 222.400 to Km. 223.000 of NH-21) on Jaipur Ring Road (Southern Corridor) (NH-148C) for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of Rajasthan as specified in the Schedule given below:

SCHEDULE

**Acquisition of land in respect of construction of interchange (Cloverleaf) at Agra Road Junction
(from Km. 222.400 to Km. 223.000 of NH-21) on Jaipur Ring Road (Southern Corridor)
(NH-148C) in the State of Rajasthan**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Collector (I), Jaipur	222.4KM To 223KM	RAJASTHAN	JAIPUR	JAIPUR	1 BAGRANA

[F. No. NHAI/JPR/2020/Ring Road]

RAJESH GUPTA, Director.